"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006-कार्तिक 12, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विघान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 का राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम सं तथा आटेशानुसार. अशोक कुमार पोददार, उप-र्याचन.

563

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 29 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) आर्थनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ को विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

 (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ निर्जी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2006'' के नाम से जाना जावेगा.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन को तिथि से प्रभावशील होगा.

परिभाषाएं.

संक्षिम नाम एवं प्रारंभ.

2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-

"मूल अधिनियम" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वर्विद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनयम, 2005.

भनुसूची में संशोधन. 3. मल अधिनियम को अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जावेगी, यथा :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन	ऑल इडिया	र्स एवं सोसायटीज	करगं। रोड, कोटा.	छत्तीसगढ	स्नातक,
	विश्वविद्यालय	सोसायटी फार	पंजीकरण	जिला-बिलासपुर	राज्य	स्नातकांत्तर एवं
	A CONTRACT NO.	इलेक्ट्रॉनिनस	अधिनियाः १९७3		in the second states	डिप्लोमा पाठ्यक्रमां
-		एण्ड टेक्नालाजी	(死. 44 私: 1973)			को तकनीकी
		(आई सेक्ट)	पंजीयन क्रमांक			(आंभयांत्रिको, ग्रामाण
			छ. ग. राज्य-208			एवं सूचना), विज्ञान,
			दिनांक 14-08-2002			वाणिज्य, रिक्षा तथा
		-				उससे स्थंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगतान प्रदातीर	फर्म्स एवं सोसायटीज	आरंग-खरोरा हाईवे	छत्तांसगट	स्तातक,
4.	יוענו ואנאואטונוא	जैन एजेकेशनल	पंजीकरण अधिनियम	ग्राम पंचायत गुल्लु.	गुज्य	स्नातकांनग एवं
		एण्ड कल्चरल	1973 (क्र. 44 सन्	ग्राम गुल्ल		शांच पांडवक्रमां
		सोसायटी.	1973) पंजीयन क्रमांक	तहसील आरंग		को पर्वधन, व्यवसाय
			छ. ग. राज्य-2342	जिला रायपुर	1000	वाणित्व, अभियांत्रिकः,
			दिनांक 07-05-2003	tarn naf.		सुचना प्राद्यांगिकी.
	4		14111107 05 2005			बॅवविज्ञान, फार्मसी, कल
						एवं मानविको, विधि,
						रिक्षा, विज्ञान तथा उसमे मंबॉधन विषय,
			-			maran naraa.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2006

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदहारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यज्ञल के नाम से तथा आदेश्वानुंसार, अशोक कुमार पोददार, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 29 of 2006)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarb Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India. as follows :---

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006.

. (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

"Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

3. In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely :---

Short title and commencement.

Definition.

Amendment of Schedule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	161	17)
1.	Dr. C. V. Raman	All India	Firms and	Kargi Road.	Chhattisgarh	Under
	University	Society for	Societies	(Kota)	State	Graduation, Post
		Electronics and	Registration	District : Bilaspur		Graduation and
	*	Computer	Act. 1973			Diploma Courses
		Technology	(No. 44 of 1973)			in the faculties of
		(AISECT)	Registration			Technology
			No. C. G. State			(Engineering, Rural
			208			Information
			dated 14-8-2002.			Science, Commerce,
						Education and
						matters of sted to

564 (2)			छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिन	क 3 नवम्बर 2006	-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu, Village : Gullu, Tehsil : Arang, District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation Post Graduation and Research Courses in the faculties of Management, Business, Commerce, Engi- neering, Information Technology, Life Sciences, Pharmacy Arts & Humanities Law, Education and Science and matters related to.

21

÷.

संखालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छर्चासगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांटगांव में मुद्रिन न्या प्रकार्गन-2006.

.

Ordinance No. 01

Faculties and Departments

The Departments mentioned in column (2) of the Table below are assigned to the Faculty mentioned in column (1) thereof.

TABLE.

Sr. No.	(01) Faculty	(02) Department of
(i)	Faculty of Science (Including - Home Science, Allied Science	Allied Sciences. Physics Chemistry Mathematics
(¥)	Faculty of Education (including Physical Education)	Education Physical Education
(iii) .	Faculty of Commerce (including commercial and Business Management)	Commerce, Business Management
(iv)	Faculty of Engineering and - Technology	Electronics and Communication Computer Science Information Technology Electrical Mechanical Rural Technology
		to the Technology Compuler Science

(v) Information Technology

Information Technology Computer Science

Other additional faculties and departments can be created as per the decisions of the Academic Council and after approval of the Governing Body.

ं:मंत्रालय::

ताऊ कल्याण सिंह भवन, रायपूर

क्रमांक	双切 3-4/2010/38-2	रायपुर,दिनांक	/ 10 / 2010
56. ···			
	सचिव छ०ग० निजा विश्वविद्यालय विनियामक	आयोग	
विषय :	रायपुर । वर्ष 2010–11 में डॉoसी0व्ही0रमन विश्व संकाय को जोडने के संबंध में ।	विद्यालय बिलासपुर	र के विषयों में नये

राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2010 की धारा (9) की उपधारा 1 के तहत डॉoसीoव्हीoरमन विश्वविद्यालय बिलासपुर को निम्नलिखित नये शैक्षणिक कार्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है

- 1 कला संकाय
- 2 विधि संकाय
- 3 फारमेंसी संकाय
- 4 चिकित्सा शिक्षा संकाय
- 5 पैरामेडिकल साईस, संकाय
- मास कम्यूनिकेशन साईस
- 7 पी.एच.डी कार्यकम।

नये शैक्षणिक कार्यकम के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि

केन्द्रीय नियामक इंकाईयों की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशान्सार

(एन०डी०मोयर) अवर सचिव छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर,दिनांक <u>/10/2010</u> २-१९ २०१०

पूं० कमांक ¹⁷³⁴ एफ 3-4/2010/38-2 प्रतिलिपि :-

 मान.मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर छ0ग0'। की ओर सूचनार्थ।
कुल सचिव, डॉ.सी०व्ही रगन विश्वविद्यालय करंगी रोड़ कोटा, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित।

अवर सचिव छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Page 193



DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Accredited with B+ Grade by NAAC

Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G.) Ph. : 07753-253 801 Fax : 07753-253728 e-mail : info@cvru.ac.in, visit us at : www.cvru.ac.in

No. 13/Reg./CVRU/2023

Bilaspur, 12/01/2023

Certificate Of Undertaking

This is to state that the Under Graduate, Post Graduate, Diploma, Certificate & Research programmes and courses in the Faculties of Engineering & Technology, Arts, Information Technology, Sciences, Commerce & Management, Law, Pharmacy, Education & Physical Education offered by the Dr. C. V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) adheres to all the provisions of Chhattisgarh Private University Act (No. 29 of 2006 for establishment and operation). The approval from the Government of Chhattisgarh via its Gazette No. 282 dated 3rd November 2006 and furthermore via letter no. F 3-4/2010/38-2 dated 2nd November 2010 is the latest one as per the record.

Based on this, I, on behalf of the University, undertake that the University follows all the guidelines of the Chhattisgarh Private University Regulatory Commission to run all the above programmes in the faculties cited above since then.

Registra Kota, Bill